न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस
मूलचन्द बनाम भूमिधारी
दावा सं0– 262/2025
जीसीएमएस– 2025/510

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। प्रकरण का सार इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वादी का सही नाम **मूलचन्द पुत्र मेघा राम** है, परन्तु राजस्व ग्राम आभावास स्थित भूमि ख0नं0 2313/420, 2314/420, 2315/421, 2316/421, 400, 418, 419, 511, 512 कुल किता 09 कुल रकबा 0.99 हैक्टे0 व भूमि खसरा नं0 398 रकबा 1.00 हैक्टे0, खसरा नं0 371, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381 कुल किता 9 रकबा 3.95 हैक्टे0, खसरा नं0 399 रकबा 1.90 हैक्टे0, ख0नं0 2311/417, 2312/417 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हैक्टे0 के राजस्व रिकार्ड में पैतृक हिस्से से प्राप्त भूमि में वादी का गलत नाम **मूलचन्द पुत्र मेघा** व विकय पत्र से कय की गयी भूमि में **मुरली पुत्र मेघा** अंकित कर दिया। अतः राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम **मूलचन्द पुत्र मेघा राम** दुरुस्त किया जावें। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत आभावास, विद्युत बिल, राशन कार्ड, बैंक खाता पास बुक, पैन कार्ड, पेंशन पीपीओ की प्रतियां पेश की है जिसमें प्रार्थी का नाम **मूलचन्द पुत्र मेघा राम** अंकित है। पत्रावली में दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का कथन किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **मूलचन्द पुत्र मेघा, मुरली पुत्र मेघा** अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम **मूलचन्द पुत्र मेघा राम** है की पुष्टि प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत आभावास, विद्युत बिल, राशन कार्ड, बैंक खाता पास बुक, पैन कार्ड, पेंशन पीपीओ से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम आभावास स्थित भूमि ख0नं0 2313/420, 2314/420, 2315/421, 2316/421, 400, 418, 419, 511, 512 कुल किता 09 कुल रकबा 0.99 हैक्टे0 व भूमि खसरा नं0 398 रकबा 1.00 हैक्टे0, खसरा नं0 371, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381 कुल किता 9 रकबा 3.95 हैक्टे0, खसरा नं0 399 रकबा 1.90 हैक्टे0, ख0नं0 2311/417, 2312/417 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 हैक्टे0 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज **मूलचन्द पुत्र मेघा, मुरली पुत्र मेघा** के स्थान पर **मूलचन्द पुत्र मेघा राम** दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा समेकित कर अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2025.08.13 12:07:04 IST
Reason: SelfAttested